

# समाहरणालय, गिरिडीह ।

समाहर्ता या समुचित सरकार  
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा कोडरमा-गिरिडीह नई रेलवे लाईन निर्माण परियोजना हेतु ग्राम-दिघरियाकला, थाना-बेंगाबाद, थाना सं०-36, अंचल-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह में कुल 1.2950 एकड़ यानि 0.5241 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपयुक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है जो मानक माप से कमोवेश 1.2950 एकड़, यानि 0.5241 हेक्टेयर है और जो ग्राम-दिघरियाकला, थाना-बेंगाबाद, थाना सं०-36, अंचल-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

क्र०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	11	130	रैयती	कृषि	0.5600	जाहद अंसारी पिता स्व० जिनब मियां	सिमाना दिघरियाखुर्द	सिमाना गादी	प्लॉट संख्या 94,99,122,173,180,452,467	प्लॉट संख्या 89,132,207,229,439,410
2	81	147	रैयती	कृषि	0.3200	जाहद अंसारी पिता स्व० जिनब मियां				
4	81	145/1	रैयती	कृषि	0.0100	कलावती देवी पति बहादुर राणा				
5	81	145/2	रैयती	कृषि	0.0100	बसीरन खातुन पति जमाल मियां				
6	39	444	रैयती	कृषि	0.0200	राजकुमार राणा पिता स्व० सुकर राणा				
7	74	163	रैयती	कृषि	0.1450	छोटकी देवी पति भवनी रजक वगै०				
8	74	462	रैयती	कृषि	0.2300	हरि रजक पिता स्व० बेनी धोबी वगै०				
कुल					1.2950					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

ग्राम- X थाना X थाना सं० X अंचल X में कुल X एकड़ यानि X हेक्टेयर जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार निचे दिये गये है :-

..... X ..... X ..... X

  
17.7.19

  
समाहर्ता, गिरिडीह।

ज्ञापांक..... 863 ...../ भू0अ0 दिनांक..... 17/07/..... 2019

- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, गिरिडीह को जिला गिरिडीह के आगामी असाधारण/ पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी N.I.C. गिरिडीह को वेबसाईट [www.giridih.nic.in](http://www.giridih.nic.in) में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, बेंगाबाद एवं जिला परिषद/संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला अवर निबंधक, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.7.19

  
समाहर्ता, गिरिडीह।